संख्या- 42 /2026/ 788/2026-001-27-10002(002)/7/2025-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 19 मई, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद-मीरजापुर, प्रयागराज एवं सीतापुर के पम्प नहर के आधुनिकीकरण की 07 परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-772/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2026-27/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 30.04.2026, पत्रांक-968/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2026-27/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 30.04.2026, पत्रांक-971/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2026-27/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 30.04.2026, पत्रांक-1170/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2026-27/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 04.05.2026, पत्रांक-1167/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2026-27/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 04.05.2026, पत्रांक-1168/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2026-27/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 04.05.2026 एवं पत्रांक-775/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2026-27/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 04.05.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-मीरजापुर, प्रयागराज एवं सीतापुर के पम्प नहर के आधुनिकीकरण की 07 परियोजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4702-101-03-0301-24 "कार्यरत लघु लिफ्ट नहरों का आधुनिकीकरण" में प्राविधानित धनराशि में से निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार तृतीय/चतुर्थ/अंतिम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 3,52,65,000/- (रूपये तीन करोड़ बावन लाख पैंसठ हजार मात्र) व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट (परियोजना हेतु धनराशि)	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का संदर्भ शासनादेश सं0/ दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a)/गठित अनुबंध की लागत (b)	अनुबंधित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत (7-9)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में	
										अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	जनपद मीरजापुर के विकास खण्ड-राजगढ़ स्थित जौगढ़ पम्प नहर (5 क्यू0) के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-101-03-0301-24	21.31	39/2025/535/25-001-27-10002(002)/7/2025-10, दिनांक 26.03.2025 एवं 87/2025/704/2025-001-27-10002(002)/7/2025-10, दिनांक 22.08.2025	97.31 (a)/ 82.31 (b)	97.13	0.18	76.00 (1.00 + 75.00)	21.13	94-4702-101-03-0301-24	21.13
2	जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड-कोरांव स्थित लखनपुर पम्प नहर (40 क्यू0) के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-101-03-0301-24	121.91		497.44 (a)/ 420.54 (b)	496.24	1.20	374.33 (5.00 +369.33)	121.91	94-4702-101-03-0301-24	121.91
3	जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड-उरूवा स्थित सिरसा पम्प नहर (25 क्यू0) के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-101-03-0301-24	94.86		384.43 (a)/ 324.90 (b)	383.38	1.05	289.57 (5.00 +284.57)	93.81	94-4702-101-03-0301-24	93.81

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	जनपद-सीतापुर की गोकुलपुर पम्प नहर (05 क्यूसेक) के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-101-03-0301-24	36.29	39/2025/535/25-001-27-10002(002)/7/2025-10, दिनांक 26.03.2025 एवं 92/2025/1389/2025-002-27-10002(002)/7/2025-10, दिनांक 22.09.2025 एवं 11/2026/412/2026-004-27-10002(002)/7/2025-10, दिनांक 10.03.2026	87.39 (a)/ 73.97 (b)	87.29	0.10	66.00 (1.00 + 50.00 + 15.00)	21.29	94-4702-101-03-0301-24	21.29
5	जनपद-सीतापुर की लक्ष्मणपुर पम्प नहर (05 क्यूसेक) के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-101-03-0301-24	32.70		93.77 (a)/ 79.41 (b)	93.70	0.07	76.00 (1.00 + 60.00 + 15.00)	17.70	94-4702-101-03-0301-24	17.70
6	जनपद-सीतापुर की मानिकपुर पम्प नहर (05 क्यूसेक) के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-101-03-0301-24	58.81		130.96 (a)/ 110.86 (b)	130.81	0.15	112.00 (2.00 + 70.00 + 40.00)	18.81	94-4702-101-03-0301-24	18.81
7	जनपद मीरजापुर के विकास खण्ड-पहाड़ी स्थित रामनगर सिकरी पम्प नहर (40 क्यू0) के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-101-03-0301-24	291.64	39/2025/535/25-001-27-10002(002)/7/2025-10, दिनांक 26.03.2025 एवं 87/2025/704/2025-001-27-10002(002)/7/2025-10, दिनांक 22.08.2025 एवं 07/2026/207/2026-003-27-10002(002)/7/2025-10, दिनांक 09.02.2026	496.64 (a)/ 420.27 (b)	495.92	0.72	205.00 (5.00 + 200.00+ 290.92 एवं 58.00 समर्पित)	58.00	94-4702-101-03-0301-24	58.00
कुल धनराशि-											**352.65**

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध-</u>

प्रश्नगत परियोजनाओं/मद में पूर्व में निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्या-39/2025/535/25-001-27-10002(002)/7/2025-10, दिनांक 26.03.2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 यथासंशोधित शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,52,65,000 (रुपये तीन करोड़ बावन लाख पैंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001010301 कार्यरत लघु लिफ्ट नहरों का आधुनिकीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 42 /2026/ 788(1)/2026-001-27-10002(002)/7/2025-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) संबंधित मुख्य अभियन्तागण (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, **द्वारा**- प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(9) नोडल अधिकारी/अनु सचिव, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।